



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईटjodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- जो.वि.प्रा./पंजीयन/21-22/1650

दिनांक : 14/12/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम, चतुर्थ संस्करण (प्रभावी दिनांक 01.07.1999) के भाग द्वितीय अनुसूची 16 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 2(4) वित्त/व्यय-3/99 दिनांक 24.05.1999 संसोधन दिनांक 19.03.11, 23.03.11, 01.11.2003 एवं 10.10.17 वर्णित ठेकेदारों के नवीनतम पंजीयन नियमों के अन्तर्गत मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जोधपुर का कार्यालय आदेश सं. 4959-66 दिनांक 26.11.13 का पंजीयन "ए" श्रेणी में सिविल कार्यों हेतु स्थायी पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 26.11.13 को जारी किया गया था।

अब मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी का "ए" श्रेणी में स्थायी पंजीयन (A-21) का पुनरावलोकन निम्न शर्तों पर किया जाता है-

1. फर्म के संगठनात्मक/तकनीकी ढांचे एवं पते में किसी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है।
2. फर्म को राज्य सरकार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी पंजीयन नियमों के अनुरूप अपना आचरण रखना होगा।
3. फर्म द्वारा अपने स्थायी पते/पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना तुरन्त इस विभाग को देनी होगी। रजिस्टर्ड पत्र उक्त स्थायी पते से वापस लौटा दिया जाता है तो संवेदक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
4. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट II परिशिष्ट 16 के नियम VII-2 एवं VIII-6 के तहत फर्म के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त "ए" श्रेणी में स्थायी पंजीयन (सिविल कार्य) आदेश का दो वर्षों की अवधि के लिये पुनरावलोकन (रिव्यू) किया जाता है।
5. दो वर्ष की अवधि में नियमानुसार फर्म के पंजीयन का पुनरावलोकन करवाना होगा। स्थायी पंजीयन का पुनरावलोकन न होने की स्थिति में पंजीयन स्वतः निरस्त माना जायेगा। पुनरावलोकन हेतु निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व अथवा इससे पहले आवेदन करना होगा।
6. जेडीए द्वारा पत्राचार- ई-मेल पर किया जायेगा जो विधिमान्य होगा।

नोट:- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जावे।

फर्म की ओर से पत्र व्यवहार, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व भुगतान लेने हेतु निम्न व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, जिनके प्रमाणित हस्ताक्षर नीचे दिये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी
1	i) पता-	प्लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जोधपुर।
	ii) ई-मेल	salawagroupjodhpur@gmail.com
	iii) फोन नं.	94141-32634, 90010-70799
2	फर्म/प्रोपराईटर का पेन नं.	ABYPS4166N
3	फर्म का GSTIN No.	08ABYPS4166N1ZH
4	पंजीकरण वर्ग व श्रेणी	सिविल "ए" (स्थायी) पुनरावलोकन दिनांक 13/12/23 तक
5	i) फर्म की प्रारिथिति	प्रोपराईटरशिप
	ii) प्रोपराईटर/अधिकृत प्रतिनिधि	श्री पप्पुसिंह गहलोत
6	पंजीयन सुरक्षा राशि	200000/- (FDR. No 485332) पंजाब एण्ड सिंध बैंक Date 10-08-13

श्री पप्पुसिंह गहलोत
(प्रोपराईटर)

प्लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जोधपुर



निदेशक अभियांत्रिकी,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :-

क्रमांक : एफ 38 ()/पंजीयन /21-22/

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. मुख्य लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (समस्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जोधपुर।

निदेशक अभियांत्रिकी,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



कार्यालय जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल

email-jdahpdpur@yahoo.com-सॉर्टेडjodhpurjda.orPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- जी.प्र./पंजीयन/21-22/1650

कायालय आदेश

राज्य सरकार के लोक निर्माण एवं वितीय लेखा नियम, चर्चर्ड संस्करण (प्रभावी दिनांक 01.07.1999) के भाग द्वितीय अनुसूची 16 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 2(4) दिनांक 24.05.1999 संसोधन दिनांक 19.03.11, 23.03.11, 01.11.2003 एवं 10.10.17 वर्णित ठेकेदारों के नवीनतम पंजीयन नियमों के अन्तर्गत शैलदास कन्सट्रक्शन कम्पनी, लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जीएचएल का कायालय आदेश सं. 4959-66 दिनांक 26.11.13 का पंजीयन "ए" श्रेणी में स्थित कार्य हेतु श्रेणी पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 26.11.13 को जारी किया गया था।

अब शैलदास कन्सट्रक्शन कम्पनी का "ए" श्रेणी में श्रेणी पंजीयन (A-21) का पुनरावलोकन निम्न शर्तों पर किया जाता है- 1. फर्म के साठानामक/तकनीकी ढांचे एवं पते में किसी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व इस कायालय को सूचित करना अनिवार्य है। 2. फर्म को राज्य सरकार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी पंजीयन नियमों के अर्जुन अपना आरक्षण रखना होगा। 3. फर्म द्वारा अपने श्रेणी पते/पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना तुरन्त इस विभाग को देनी होगी। एलिस्टर्ड पत्र उक्त श्रेणी पते से वापस लौटा दिया जाता है तो संबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। 4. लोक निर्माण वितीय एवं लेखा नियम के पार्ट II परशिष्ट 16 के नियम VII-2 एवं VIII-6 के तहत फर्म के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त "ए" श्रेणी में श्रेणी पंजीयन (सिविल कार्य) आदेश का दो वर्षों की अवधि के लिये पुनरावलोकन (रिव्यू) किया जाता है। 5. दो वर्ष की अवधि में नियमानुसार फर्म के पंजीयन का पुनरावलोकन करवाना होगा। श्रेणी पंजीयन का पुनरावलोकन न होने की स्थिति में पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। पुनरावलोकन हेतु निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व अथवा इससे पहले आवेदन करना होगा। 6. उल्लिखित द्वारा पत्राचार-ई-मेल पर किया जाएगा जो विहित होगा।

नोट:- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जावे। फर्म की ओर से पत्र व्यवहार, अनुबन्ध पर दरलक्षण करने व भुगतान लेने हेतु निम्न व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, जिनके प्रमाणित हस्ताक्षर नीचे दिये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	पता-	ई-मेल	फोन नं.	फर्म/प्रोप्राइटर का पते नं.	फर्म का GSTIN No.	पंजीकरण वर्ग व श्रेणी	फर्म की स्थिति	प्रोप्राइटर/अधिकृत प्रतिनिधि	पंजीयन सूचना शी
1	शैलदास कन्सट्रक्शन कम्पनी	लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जीएचएल	ई-मेल	salawasgroupjodhpur@gmail.com	94141-32634, 90010-70799	ABYPS4166N	पंजीकरण वर्ग व श्रेणी	फर्म की स्थिति	श्री प्रपुसिंह महतो	पंजीयन सूचना शी
2						08ABYPS4166N1ZH				
3										
4										
5										
6										

श्री प्रपुसिंह महतो (प्रोप्राइटर) लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जीएचएल



निदेशक आभियानिकी, जीएचएल विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एक 38 ()/पंजीयन /21-22/ प्रतिनिधि निम्नलिखित को सर्वनाथ प्रिभूत है:-

1. निजी सचिव आर्यवंत, जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
2. सचिव, जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
3. निदेशक विन, जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
4. मुख्य लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
5. अधिसूची अभियन्ता (समस्त), जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
6. प्रोप्राइटर, जीएचएल विकास प्राधिकरण, जीएचएल
7. शैलदास सांख्यिक कन्सट्रक्शन कम्पनी, लॉट नं. 68 संगम नगर बासनी प्रथम फेस, जीएचएल

निदेशक आभियानिकी, जीएचएल विकास प्राधिकरण

1